**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा उत्पादन विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 218**

**01 दिसंबर, 2015 को उत्तर के लिए**

**गैर-सरकारी विनिर्माताओं द्वारा विशेष युद्ध सामग्रियों का निर्माण**

**218. श्री अविनाश पांडे :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. क्या सरकार ने सेना के लिए विशेष युद्ध सामग्रियों के उत्पादन हेतु गैर-सरकारी विनिर्माताओं को अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है; और
2. यदि हां, तो गैर-सरकारी आपूर्तिकर्ता को कितने वर्षों की सुनिश्चित वचनबद्धता दी जाएगी ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ( राव इन्द्रजीत सिंह)**

1. एवं (ख) : सरकार ने प्रेस नोट संख्या 4 (2001 सीरीज) के द्वारा रक्षा उद्योग क्षेत्र को लाइसेंसिंग के अध्यधीन रक्षा विनिर्माण में 100% भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया है । प्रेस नोट संख्या 2 (2002 सीरीज) के द्वारा आयुध एवं गोला-बारूद के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि रक्षा मंत्रालय विनिर्मित किए जाने वाले उत्पादों के लिए क्रय गारंटी देने की स्थिति में नहीं है ।

\*\*\*\*\*